



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 877]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2016/पौष 1, 1938

No. 877]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2016/PAUSA 1, 1938

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि.1165(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 129 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) संशोधन नियम, 2016 है।
(2) ये एक जनवरी, 2017 से प्रवृत्त होंगे।
- रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 3 में, -
 - उपनियम(2) में, "चार लाख रुपये", शब्दों के स्थान पर "आठ लाख रुपये" शब्द रखे जाएंगे।
 - उपनियम(3) के दूसरे परंतुक में "अस्सी हजार रुपये", शब्दों के स्थान पर "एक लाख साठ हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों के नियम 4 में, "चार लाख रुपये", शब्दों के स्थान पर "आठ लाख रुपये" शब्द रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

अनुसूची

(नियम 3 देखिए)

मृत्यु और क्षति के लिए संदेय प्रतिकर की रकम

भाग (1)

प्रतिकर की रकम (रुपये में)

मृत्यु के लिए	8,00,000
---------------	----------

भाग (2)

(1) दोनों हाथों की हानि या उच्चतर साइडों पर विच्छेदन के लिए	8,00,000
(2) हाथ और पांव की हानि के लिए	8,00,000
(3) टांग या जांघ पर दोहरे विच्छेदन अथवा टांग या जांघ के एक ओर उससे विच्छेदन और अन्य पाद की क्षति के लिए	8,00,000
(4) उस परिणाम तक दृष्टि की हानि के लिए जो दावेदार को कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए असमर्थ बना देती है जिसके लिए दृष्टि का होना अनिवार्य है।	8,00,000
(5) चेहरे की बहुत गंभीर विदूषिता के लिए	8,00,000
(6) पूर्ण बधिरता के लिए	8,00,000

भाग (3)

(1) स्कंध संधि से विच्छेदन के लिए	7,20,000
(2) स्कंध से नीचे विच्छेदन के लिए जबकि स्थूपक असंकुट के सिरे से 8 इंच से कम हो	6,40,000
(3) असंकुट के सिरे से 8 इंच से असंकुट के सिरे के नीचे 4 ½ इंच से कम तक विच्छेदन के लिए	5,60,000
(4) किसी हाथ या एक हाथ के अंगूठे और एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि अथवा असंकुट के सिरे के नीचे 4 ½ इंच से कम तक विच्छेदन के लिए	4,80,000
(5) अंगूठे की हानि के लिए	2,40,000
(6) अंगूठे और उसकी काफिका हड्डी की हानि के लिए	3,20,000
(7) एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि के लिए	4,00,000
(8) एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि के लिए	2,40,000
(9) एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि के लिए	1,60,000
(10) अंगूठे की अंतिम अंगुलिस्थि की हानि के लिए	1,60,000
(11) दोनों पाद के विच्छेदन के लिए जिसके परिणाम अन्त्य बेयरिंग स्थूलक है	7,20,000
(12) प्रपंवानुस्त्यस्थि संधि के निकट दोनों पादों से विच्छेदन के लिए	6,40,000
(13) प्रपंवानुस्त्यस्थि संधि से दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	3,20,000

(14) निकटस्थ अंतरायल्यस्थि संधि से निकट दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	2,40,000
(15) निकटस्थ अंतरायल्यस्थि संधि से दूर दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	1,60,000
(16) नितम्ब के नीचे विच्छेदन के लिए	7,20,000
(17) नितम्ब के नीचे विच्छेदन के लिए जबकि स्थूपक बड़े ट्रेवेन्टर के सिरे से मापित लम्बाई में 5 इंच से अधिक न हो	6,40,000
(18) नितम्ब के नीचे विच्छेदन के लिए जबकि स्थूपक बड़े ट्रेवेन्टर के सिरे से मापित लम्बाई में 5 इंच से अधिक हो किंतु मध्य उसके परे न हो	5,60,000
(19) मध्य जांघ के नीचे से घुटनों के नीचे 3 ½ इंच तक विच्छेदन के लिए	4,80,000
(20) घुटनों के नीचे विच्छेदन के लिए जबकि स्थूपक 3 ½ इंच से अधिक किंतु 5 इंच से अधिक न हो	4,00,000
(21) अपरहामन सहित रीढ़ की अस्थि-भंग	4,00,000
(22) घुटनों के नीचे विच्छेदन के लिए जबकि स्थूपक 5 इंच से अधिक हो	3,20,000
(23) एक नेत्र की हानि के लिए जबकि कोई अन्य जटिलताएं न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो	3,20,000
(24) एक पाद के विच्छेदन के लिए जिसका परिणाम अंत्य बेरिंग है	2,40,000
(25) प्रपदामूल्यास्थि संधि के निकट से एक पाद के विच्छेदन के लिए	2,40,000
(26) अधराग धात के बिना रीढ़ का अस्थि-भंग	2,40,000
(27) एक नेत्र की दृष्टि की हानि के लिए जबकि कोई अन्य जटिलताएं या नेत्र द्योतक का विरूपण न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो	2,40,00
(28) प्रसदामूल्यास्थि संधि के निकट से एक पाद की हानि के लिए	1,60,000
(29) नितम्ब संधि का अस्थि-भंग	1,60,000
(30) बड़ी हड्डी फीमर टीबिया का दोनों अंगों में अस्थि-भंग	1,60,000
(31) बड़ी हड्डी ह्यूमेल्स रेडियस का दोनों अंगों में अस्थि-भंग	1,20,000
(32) श्रेणिका अस्थि-भंग जिसके संधि अंतग्रस्त न हो	80,000
(33) बड़ी हड्डी फीमर टीबिया का एक अंग में अस्थि-भंग	80,000
(34) बड़ी हड्डी ह्यूमेल्स रेडियस अल्ना के एक अंग का अस्थि भंग	64,000

[फा. सं. 2015/टीसी-III/26/1]

रविनेश कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 552(अ) तारीख 7 जून, 1990 को प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात सा.का.नि.सं. 592(अ), तारीख 22 जुलाई, 1994 तथा सा.का.नि. 620(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 1997 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd, December, 2016

G.S.R. 1165(E).—In exercise of the powers conferred by section 129 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules, 1990, namely :-

1. Short title and Commencement:- (1) These rules may be called the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Amendment Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the 1st day of January, 2017.
2. In the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules, 1990 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, -
 - (i) in sub-rule (2), for the words “rupees four lakhs”, the words “rupees eight lakhs” shall be substituted;
 - (ii) in the second proviso to sub-rule (3) for the words “rupees eighty thousand”, the words “rupees one lakh sixty thousand” shall be substituted”.
3. In the said rules, in rule 4, for the words “rupees four lakhs”, the words “rupees eight lakhs” shall be substituted.
4. For the Schedule annexed to the said rules, the following Schedule shall be Substituted, namely:-

SCHEDULE**(See rule 3)****Amount of Compensation Payable in respect of Death and Injuries****PART I**

	Amount of Compensation (in rupees)
For death	8,00,000

PART II

(1) For loss of both hands or amputation at higher sites.	8,00,000
(2) For loss of hand and a foot.	8,00,000
(3) For double amputation through leg or thigh or amputation through leg or thigh on one side and loss of other foot.	8,00,000
(4) For loss of sight to such an extent as to render the claimant unable to perform any work for which eye sight is essential.	8,00,000
(5) For very sever facial disfigurement.	8,00,000
(6) For absolute deafness.	8,00,000

PART III

(1) For amputation through shoulder joint.	7,20,000
(2) For amputation below shoulder with stump less than 8” from tip of acromion.	6,40,000
(3) For amputation from 8” from tip of acromion to less than 4 ½” below tip of olecranon.	5,60,000
(4) For loss of a hand or the thumb and four fingers of one hand or amputation from 4 ½ ” below space tip of olecranon.	4,80,000
(5) For loss of thumb.	2,40,000
(6) For loss of thumb and its metacarpal bone.	3,20,000
(7) For loss of four fingers of one hand.	4,00,000
(8) For loss of three fingers of one hand.	2,40,000
(9) For loss of two fingers of one hand.	1,60,000

(10) For loss of terminal phalanx of thumb.	1,60,000
(11) For amputation of both feet resulting in end bearing stumps.	7,20,000
(12) For amputation through both feet proximal to the metatarso-phalangeal joint.	6,40,000
(13) For loss of all toes of both feet through the metatarso-phalangeal joint.	3,20,000
(14) For loss of all toes of both feet proximal to the proximal interphalangeal joint.	2,40,000
(15) For loss of all toes of both feet distal to the proximal inter-phalangeal joint.	1,60,000
(16) For amputation at hip.	7,20,000
(17) For amputation below hip with stump not exceeding 5" in length measured from tip of great trochanter but not beyond middle thigh.	6,40,000
(18) For amputation below hip with stump exceeding 5" in length measured from tip to great trochanter but not beyond middle thigh.	5,60,000
(19) For amputation below middle thigh to 3 ½ " below knee.	4,80,000
(20) For amputation below knee with stump exceeding 3 ½ " but not exceeding 5".	4,00,000
(21) Fracture of Spine with paraplegia.	4,00,000
(22) For amputation below knee with stump exceeding 5"	3,20,000
(23) For loss of one eye without complications the other being normal.	3,20,000
(24) For amputation of one foot resulting in end-bearing.	2,40,000
(25) For amputation through one foot proximal to the metatarso-phalangeal joint.	2,40,000
(26) Fracture of Spine without paraplegia.	2,40,000
(27) For loss of vision of one eye without complications of disfigurement of eye ball, the other being normal.	2,40,000
(28) For loss of all toes of one foot through the metatarso-phalangeal joint.	1,60,000
(29) Fracture of Hip-joint.	1,60,000
(30) Fracture of Major Bone Femur Tibia Both limbs.	1,60,000
(31) Fracture of Major Bone Humerus Radius Both limbs.	1,20,000
(32) Fracture of Pelvis not involving joint.	80,000
(33) Fracture of Major Bone Femur Tibia one limb.	80,000
(34) Fracture of Major Bone Humerus Radius Ulna One limb.	64,000

[F. No. 2015/TC-III/26/1]

RAVINESH KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 552(E), dated the 7th June, 1990 and subsequently amended vide number G.S.R.592(E), dated the 22nd July, 1994 and G.S.R.620(E), dated the 25th October, 1997.